The E.S.I. authorities have raised a demand for contributions due and in case the management fails to make the payment, action will be taken to file recovery certificate, fcr realisation of the outstanding dues. Besides, F.I.R, bas been lodged with the Police under section 4GR/409 IPC, for failure to remit the contribution deducted from the wages of the employees.

(c) Administrative action has been initiated.

(d) They have been formally advised to use their good offices with the management for lifting the lock-out.

Demolition of Hili behind Anand Parvat Industrial Areas

2759. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether bulldozer is being operated to domolish hill behind Anand Parvat Industrial Area;

(b) if so, who is spending amount thereon and what is the purpose thereof; and

(d) what are the full details of the plan in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश के कस्बों/नगरों में नागरिक सुविधाएं

2760. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा वाराणसी में गन्दी बस्तियों में अलग-अलग कुल कितने लोग रहते हैं ;

(ख) इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को नागरिक सुविधायें प्रदान कराने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता दी जाती है ; और

(ग) इन गन्दी बस्तियों में सुधार कार्य आरम्भ किये जाने के संबंध में सरकार की योजना क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जैसा कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है, पहचान की गई मलिन बस्ती जनसंख्या इस प्रकार है :—

1.	कानपुर	6.140 लाख
2.	इलाहाबाद	1.880 ,,
3.	आगरा	2.240 ,,
4.	वाराणसी	2.600 ,,
5.	लखनऊ	2.850 ,,

(ख) और (ग) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना (ई० आई०यू०एस०), जिसका उददेश्य शहरी मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करना है राज्य क्षेत्र में हैं तथा विधियों की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की जाती हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में, इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय की अधिकतम सीमा 300/– रुपये निर्धारित की गई है और तदनुसार इन शहरों में गंदी बस्ती निवासियों सहित उत्तर प्रदेश में 8 लाख गंदी बस्ती निवासियों को लाभान्वित करने के लिए योजना में राज्य को 24 करोड़ रुपये की राशि दी गई है । इसके अतिरिक्त गंदी बस्ती उन्नयन के लिए विश्व बैंक सहायता-प्राप्त शहरी विकास परियोजनाओं में निम्नलिखित पूंजी निवेश किए जा रहे हैं :—

कानपुर शहरी विकास परियोजना— 694.00 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना— 1056.82 लाख रुपये